न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 197/2024

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53–88 आर.टी.ए.।

महेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति सुथार साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1–ओमप्रकाश पुत्र कालूराम जाति सुथार साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2–रोशनीदेवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सीताराम जाति सुथार साकिन थिराना तहसील नोहर
3–सुनीतादेवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सरवणकुमार जाति सुथार साकिन भुरानपुरा तह0 टिब्बी
4–मंजूदेवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रोहिताश जाति सुथार साकिन मक्कासर तह0 हनुमानगढ
5–पुष्पादेवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी विनोदकुमार जाति सुथार साकिन गोलूवाला तह0 पीलीबंगा
6–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :–
1–ओम प्रकाश शर्मा वकील वादी
2–जितेन्द्रकुमार बाथम वकील प्रतिवादी सं. 1 से 5

निर्णय

दिनांक 24.5.2024

यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अनतगर्त धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 16 एफटीपी खाता संख्या 18/16 में 1.771 है0 भूमि हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के व्यक्ति है, प्रतिवादी संख्या 1 वादी का सगा पिता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 से 5 वादी की सगी बहिने है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि सभी की विरास्तन भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक है तथा प्रतिवादीगण 2 से 5 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का घरू विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार वादी को चक नम्बर 16 एफ.टी.पी. खाता संख्या 18/16 में कुल 1.771 है0 में से 1/2 हिस्सा अर्थात् प0न0 178/244 मु0न0 04 कि0न0 6/0.253, व प0न0 179/247 मु0न0 40 कि0न0 25/1/0.126, व प0न0 179/248 मु0न0 41 कि0न0 4/1/0.0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.190, 5/2/0.025, 5/3/0.038, कुल 0.885 है0 भूमि प्राप्त हुई जिसका कब्जा वादी को सौंप दिया है जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने का मुश्तहक एवं दावेदार है तथा उक्त भूमि का खाता विभाजन कराने की घोष्णात्मक डिक्री वादी चाहता है। वादी अपना खाता सांझा नहीं रखना चाहता इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] वादी को उक्त 0.885 है0 भूमि का जन्मजात खातेदार काश्तकार [illegible] रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर [illegible] कर

[illegible] 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.05.30 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख निश्चित की गई। मुकर्रा तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने जरिये वकील संयुक्त रूप से जबाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा स्टेट की ओर से राज पेरोकार ने अपना जबाब पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में कोई विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नही की गई। बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया, बहस वकील प्रतिवादी ने कोई एतराज नहीं किया हमने पत्रावली का अवलोकन किया दावा में प्रतिवादीगण का जबाब इकबालिया अनुसार है और किसी प्रकार का विरोध नहीं है दावा के तथ्यों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी स्वीकार किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि वादी अपने पिता ओमप्रकाश पुत्र कालूराम के नाम से चक नम्बर 16 एफ.टी.पी. खाता संख्या 18 / 16 में कुल 1.771 है0 में से 1 / 2 हिस्सा अर्थात् प0न0 178 / 244 मु0न0 04 कि0न0 6 / 0.253, व प0न0 179 / 247 मु0न0 40 कि0न0 25 / 1 / 0.126, व प0न0 179 / 248 मु0न0 41 कि0न0 4 / 1 / 0.0.228, 4 / 2 / 0.025, 5 / 1 / 0.190, 5 / 2 / 0.025, 5 / 3 / 0.038, कुल 0.885 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अतः उक्त भूमि वादी के नाम अलग खाता दर्ज करके खाते से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि बैंक के रहन हो तो बैंक नौ–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.24 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.05.30 16:11:40 IS
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय–सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 197/2024 वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53–88 आर.टी.ए.।

...कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति सुथार साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

...ओमप्रकाश पुत्र कालूराम जाति सुथार साकिन दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
...रोशनीदेवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सीताराम जाति सुथार साकिन थिराना तहसील नोहर
...सुनीतादेवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सरवणकुमार जाति सुथार साकिन भुरानपुरा तह0 टिब्बी
...मंजूदेवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रोहिताश जाति सुथार साकिन मक्कासर तह0 हनुमानगढ़
5–पुष्पादेवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी विनोदकुमार जाति सुथार साकिन गोलूवाला तह0 पीलीबंगा
6–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

–प्रतिवादीगण––

।दावा बाबत इस्तकरार हक एवं तकसीम खाता।

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदई जिनेन्द्र बाथम जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–वादी अपने पिता ओमप्रकाश पुत्र कालूराम के नाम से चक नम्बर 16 एफ.टी.पी. खाता संख्या 18/16 में कुल 1.771 है0 में से 1/2 हिस्सा अर्थात् प0न0 178/244 मु0न0 04 कि0न0 6/0.253, व प0न0 179/247 मु0न0 40 कि0न0 25/1/0.126, व प0न0 179/248 मु0न0 41 कि0न0 4/1/0.0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.190, 5/2/0.025, 5/3/0.038, कुल 0.885 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अतः उक्त भूमि वादी के नाम अलग खाता दर्ज करके खाते से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि बैंक के रहन हो तो बैंक नौ–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।

निज......X.........मुब्लिक.......X.......बाबत.।.00.......।खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक.......X........को अदा करे।। बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.25.5.24..........को जारी किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:40 IST
Reason: Self Attested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official